कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य/पेंशन–अ/34925/पी–2/2012 दिनांक :– 08.09.2020

समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय ।

विषय :– माह अगस्त 2020 की पेंशन प्रकरणों की मासिक सूचना बाबत।

आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयो की माह अगस्त 2020 की पेंशन प्रकरणों की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र 1 से 8 तक) में तैयार कर दिनांक 14.09.2020 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें । इस कार्यालय द्वारा बार बार निर्देश देने के बावजूद आप द्वारा निर्धारित प्रपत्रो में पेंशन की पूर्ण सूचनाऐं नहीं भेजी जा रही है । कई संयुक्त निदेशक कार्यालयो द्वारा इस कार्यालय द्वारा दूरभाष पर बार बार निर्देश देने के बावजूद भी पेंशन सम्बन्धी सूचनाऐं समय पर नहीं भिजवाई जा रही है । जिससे राज्य सरकार एवं उच्च अधिकारियों को इस कार्यालय द्वारा पेंशन सम्बन्धी सूचना से समय पर अवगत नहीं कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । अतः पेंशन सम्बन्धी पूर्ण सूचना समय पर भेजी जावें। बकाया पेंशन प्रकरण जो पेंशन विभाग को नहीं भेजे गये है तथा पेंशन विभाग से आक्षेपित होकर वापिस प्राप्त हुए है इनके निस्तारण के सम्बन्ध में शिथिलता को निदेशक महोदय द्वारा गंभीर माना है ।

अतः बकाया पेंशन प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करवाने का श्रम करें । बकाया पेंशन प्रकरणो की नियमित मोनेटरिंग संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर की जावे । कोई भी पेंशन प्रकरण लम्बे समय तक बकाया न रहे इस बात की सुनिश्चितता की जावे । विलम्ब के लिए उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं पेंशन नियम 89 के तहत पेंशन में विलम्ब के प्रकरणों में ब्याज के सम्बन्ध में उतरदायित्व निर्धारित किया जावे । अपने अधीनस्थ समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालयो को अपनें स्तर पर इस सम्बन्ध में निर्देशित करें ।

निदेशक महोदय द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब को गंभीर माना जाकर उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानें के निर्देश दिये है । अतः निदेशक महोदय के निर्देशानुसार बकाया पेंशन प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कराया जाकर समय समय पर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

अतः समस्त संयुक्त निदेशक पेंशन सम्बन्धी सूचनाऐं (प्रपत्र 01 से 08) दिनांक 14.09.2020 तक अनिवार्य रूप से भिजवाई जावे ।

www.rajsevak.com

वरिष्ठ लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर